कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0)

क्रमांक / पुअछि / सीसी / विविध / 100 / एम / 3208 ए / 06–08 दिनांक 10 / 11 /

प्रति,

मान0 आर0सी0 दुर्गा

निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग ,

छठी मंजिल बी विंग लोक नायक भवन खान मार्केट

नई दिल्ली 110003

विषय- अनुसूचित जन जाति के सदस्य पर कथित अत्याचार के संबंध में।

सन्दर्भ- आपका पत्र क्र0 मिसिल सं- म0प्र0 / एस.टी. 28 / 2008 / अत्याचार / आर.यू. दिनांक 27.10.08, पत्र सं-म0प्र0/ST-27/06/अत्याचार/R.U-3 दि. 27.10

—(XX)—

विषयांकित संबंध में कृपया सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आवेदक श्री आशाराम सइके एवं श्रीमति पार्वती सइके निवासी पोआमा बस्ती थाना कोतवाली छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश के माध्यम से आदिवासी आवेदकगणो पर शांतिपूर्ण धार्मिक पूजन पर आरोपी सरपंच भाउराव रावत ग्राम पंचायत पोआमा तह व जिला छिन्दवाड़ा के साथ संलग्न पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व कांग्रेसी राजनीतिज्ञ द्वारा आदिवासी गौंड जाति पर दबाव वश झूठा प्रकरण बनवाने गौंड जाति के लोगो कि खानदानी भूमि पर नाजायज अधिकार जताने पर न्याय करने बाबत आवेदन पत्र दिया गया था। जिसकी जांच थाना प्रभारी कोतवाली छिन्दवाड़ा द्वारा कराई जाकर जांच प्रतिवेदन इस कार्यालय पत्र क्र0 पुअछि / सीसी विविध / 100 / 2195 ए / 08 दिनांक 13.7.08 के माध्यम से माननीय श्री त्रिपुरारी राय सहायक निदेशक राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग, छठी मंजिल बी विंग लोक नायक भवन खान मार्केट नई दिल्ली 110003 की ओर प्रेषित की गई है । जिसकी छायाप्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु वांछित जानकारी जांच प्रतिवेदन के माध्यम से आपकी ओर संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति

पुलिस अधीक्षक

छिन्दवाड़ा

कार्यालय पुलिस अधीक्षक छिन्दवाडा म0प्र0

क्रमाँक/पुअछि/सीसी/विविध/100/2195–ए/2006 दिनाँक |3 /06

प्रति,

माननीय त्रिपुरारी राय,
सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग
छटी मंजिल बी विग लोक नायक भवन खान मार्केट
नई दिल्ली–110003–।

विषयः–आवेदक श्रीमति पार्वती उईके पति आशाराम उईके, श्रीमति प्रमिला धुर्वे नि सी पोआमा बस्ती थाना कोतवाली जिला छिंदवाडा की शिकायत जाँच कर प्र दन भेजने बाबत ।

संदर्भः–आपका पत्र क्रमाँक–मप्र/एसटी–27/2006 अत्याचार दिल्ली दिनाँक 1: जून 2006 एवं पत्र क्रं0/मप्र/एसटी–28/06 अत्याचार दिनाँक 12 जून 2006 ।

—000—

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके अ । आवेदक श्रीमति पार्वती उईके, श्रीमति प्रमिला धुर्वे एवं आशाराम उईके एवं अन्य । निवासी पोआमा थाना कोतवाली जिला छिंदवाडा की शिकायत जाँच हेतु प्राप्त हुई । इसमे अनावेदक द्वारा पूर्व जिलापंचायत अध्यक्ष एवं अन्य कॉग्रेसी नेताओ द्वारा ग प्रकरण बनवाने का आरोप लगाया गया है । इसकी जाँच थाना प्रभारी कोतवाली । वाडा द्वारा कराई गई ।

जाँच पर पाया गया कि पूर्व मे ही थाना कोतवाली छिंदवाडा मे आवे के विरूद्ध अप0क्र0 447/06 धारा 147, 148, 447, भादवि का प्रकरण कायम किया जा विवेचना मे लिया गया है । आवेदक द्वारा अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिये ावेदकी के विरूद्ध बढाचढाकर शिकायत पत्र देना जाँच पर पाया गया । दोनो प के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाकर इस्तगासा न्यायालय पेश किया जा चुका । शिकायत जाँच पर कोई जुर्मदस्तनदाजी अपराध का होना नही पाया गया ।

अतएव उपरोक्तानुसार जाँच प्रतिवेदन आपकी ओर प्रेषित है ।

पुलिस अ क
छिंदवा ।
दिनाँक 13 ई 06

क्रं0/पुअछि/सीसी/विविध/102/2249–ए/06

प्रतिलिपी–1– माननीय बृजकिशोर दुबे सदस्य सचिव म0प्र0 राज्य विधिक प्राधिकरण 574 साउथ सिविल लाईन्स जबलपुर को कृपया उनके पत्र क फार्म–3/विसे/327 /06 दिनाँक 16–6–06 के तारतम्य मे तदानुसा सूचनार्थ प्रेषित ।

2–जिलाध्यक्ष (जिला सर्तकता) छिंदवाडा को कृपया उनके पत्र तम्य मे क्रं0/5843/फार्म/ शिलि/2006 दिनाँक 19 जून 2006 के सूचनार्थ प्रेषित ।

पुलिस अ क
छिंदवा ।